महत्वपूर्ण/तत्काल

संख्या-3706/छः-पु0-9/2022

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
गृह, उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्लायुक्त, उत्तर प्रदेश।
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर / कानपुर / वाराणसी।
समस्त जिला मजिस्ट्रेट
जनपद प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-9 **लखनऊः दिनांक 23 अगस्त, 2022**

विषय- राज्य में गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं में विषाणु जनित लम्पी बीमारी (Lumpy Skin Disease LSD) के संक्रमण के निवारण के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उक्त के संबंध में शासन के पशुधन विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः1593/सैतीस-2-2022 दिनांकित 23 अगस्त, 2022 के क्रम में अवगत कराना है कि भारत के विभिन्न राज्यों में विशेषकर उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यो यथा राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि में गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं में लम्पी बीमारी के लक्षण पाये जाने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में सतर्कता बरते जाने की आसन्न आवश्यकता है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेः-

1- सीमावर्ती राज्य यथा राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखण्ड एवं मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के रास्ते में पड़ने वाले समस्त बार्डर चेक पोस्टों पर निगरानी सक्रिय किये जाने के साथ-साथ उक्त राज्यों से किसी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशु का उत्तर प्रदेश में अग्रिम आदेशों तक प्रवेश पूर्णतः रोक दिया जाये। प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों/मण्डलों विशेषकर सहारनपुर/मेरठ/आगरा/झांसी आदि में विशेष सतर्कता बरती जाये।

2- प्रदेश के समस्त जनपदों के गोवंश / महिष वंश पशुओं के अन्य जनपदों के परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाया जाये, विशेषकर पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे पशुओ को हाइवे, चेक पोस्ट/पुलों आदि पर निगरानी करते हुए पूर्णतः रोका जाये।

3- प्रदेश में अग्रिम आदेशों तक गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं का कोई भी हॉट/मेला इत्यादि के आयोजन पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये।

4- संक्रमित गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं के उपचार हेतु पशुपालन विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक उपचार एवं टीका आदि के संबंध में समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

5- संक्रमित गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं के आइसोलेशन (Isolation), पशु चिकित्सकों के निर्देशों तथा तत्संबंधी प्रोटोकाल के अन्तर्गत उनके निस्तारण की कार्यवाही भी विशेष सतर्कता बरतते हुए सावधानी एवं संवेदनशीलता के साथ अमल में लायी जाये।

6- इस संबंध में समय-समय पर भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

7- विषय की संवेदनशीलता के दृष्टिगत जनपद में उक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन तथा कानून-व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा पशुपालन विभाग के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को वांछित सहयोग भी प्रदान किया जाये।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

<u>प्रतिलिपि-</u>

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. अपर पुलिस महानिदेश, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

23.8.22

(डॉ. बी0डी0 पॉल्सन)
सचिव।